न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 114/2019 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2019/01223**
दायर दिनांक :— 01.05.2019 **निर्णय दिनांक :— 21.11.2024**

1. सावताराम पुत्र अलसीराम जाति नाई निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. नारायणराम पुत्र सांवताराम जाति नाई निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
3. मोडाराम पुत्र सांवताराम जाति नाई निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
4. केसूराम पुत्र सांवताराम जाति नाई निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
5. गेनाराम पुत्र सांवताराम जाति नाई निवासी कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का इस आश्य से पेश किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1008 रकबा 199 बीघा सरहद मौजा कानसिंह की सिड तहसील बाप में स्थित है। जिस पर कब्जा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 का आज दिन तक चला आ रहा है। मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 प्रत्येक की अलग अलग ढाणियां व पानी के टांके स्थित है। जिसमें सभी अपने अपने परिवार सहित बारह ही माह निवास करते है और उक्त भूमि मं आज दिन तक लगातार हर वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग तथा उपभोग लेते आ रहे है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1008 का रकबा 199 बीघा मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 का कब्जा भी 199 बीघा भूमि पर ही है तथा वक्त सेटलमेंट उक्त खसरे का जो नक्शा तैयार किया गया है उसका भी पैमाने से रकबा निकालने पर 199 बीघा ही होता है लेकिन वक्त सेटलमेंट उक्त खसरा के राजस्व रेकर्ड खतौनी में प्रार्थी के नाम 237 बीघा भूमि दर्ज कर दी जो एक भूल है। उकत खसरा में 199 बीघा भूमि ही है। उक्त भूल सुधार की जाकर राजस्व रेकर्ड खतौनी में खसरा नम्बर 1008 मौजा कानसिंह की सिड का रकबा 199 बीघा दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाप ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की

21.11.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम श्रीशक्तिनगर पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील घंटियाली जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 1008 व इनके बट्ठा नम्बरान् की तरमीम जमाबंदी से अधिक दर्ज है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरा नम्बर 1008 वर्तमान में बट्टा नम्बरों में विभक्त हो चुका है। मूल खसरा नम्बर व बट्टा नम्बरों का मौके पर नजरी नक्शा अनुसार कब्जा काश्त है तथा लट्ठा नक्शानुसार खसरा नम्बर 1008 मय बट्टा नम्बरान् का सम्पूर्ण रेखीय क्षेत्रफल निकालने पर रकबा 187–04 बीघा बनता है। मूल खसरा नम्बर मय बट्टा नम्बरों की नक्शा लट्ठा में तरमीम अकंन नहीं है। मूल खसरा नम्बर व बट्टा नम्बरों की जमाबंदी अनुसार कुल रकबा 236–16 बीघा बनता है। चूंकि विवादग्रस्त खसरान की भूमि में से किस खसरा नम्बर से भूमि को कम किया जाना है जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं पटवार हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं हो रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)